न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः- 1969/2026

UPAD010055132026

उज्ज्वल सिंह पुत्र स्व. आनन्द सिंह निवासी ग्राम रामपुर थाना औद्योगिक क्षेत्र, जनपद प्रयागराज।
............आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ.प्र. राज्य **......................अभियोगी।**

मु.अ.सं.- 228/2025
धारा–115(2),352,351(2),281,125(बी) बी.एन.एस. व
धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(V–क) एस.सी./एस.टी. एक्ट
थाना– औद्योगिक क्षेत्र, जनपद प्रयागराज

1. आवेदक/अभियुक्त उज्ज्वल सिंह की ओर से मु.अ.सं.– 228/2025, अन्तर्गत धारा–115(2), 352, 351(2), 281, 125(बी) बी.एन.एस., 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(V–क) एस.सी./एस.टी.एक्ट थाना–औद्योगिक क्षेत्र, जनपद–प्रयागराज में प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अमित कुमार द्वारा दिनांक 28.12.2025 को समय 18.06 बजे थाना औद्योगिक क्षेत्र, जनपद प्रयागराज में इस आशय का मुकदमा कायम कराया कि दिनांक 27.12.25 को समय लगभग 20.00 बजे रात्रि वह अपने घर का कुछ आवश्यक सामान खरीदने रामपुर स्टेशन वाले चौराहे पर गया था वह दुकान से सामान खरीद रहा था उसी वक्त गांव के ही उज्ज्वल सिंह जो एरिया का दबंग व्यक्ति है उसको अपने पास बुलाया उसने आने में कुछ देर लगा दिया जिस कारण उक्त उज्ज्वल सिंह उसको जाति सूचक गाली देते हुए कहा की मादरचोद साले कोल उसकी इतनी हिम्मत वह उसके बुलाने पर इतनी देर से आ रहा है कह कर चौराहे पर लात जूतों से काफी मारा पीटा तथा धमकी दिया कि आज के बाद जहाँ दिखाई पड़े तो मार के फेंक देंगे। वादी मुकदमा ने घर जाकर घरवालों से सारी घटना के बारे में बताया तो घर व आस–पास के लोग जिसमें सुनील कुमार, शिवलोचन व वादी मुकदमा उक्त उज्ज्वल सिंह के घर पर उलाहना देने गये जैसे वादी मुकदमा व उक्त लोग उज्ज्वल सिंह के घर पर पहुँचे और उसकी माता से उलाहना देने लगे इतने में उज्ज्वल सिंह जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी चार पहिया वाहन स्टार्ट कर वादी मुकदमा व उक्त लोगों पर चढा दिया जिससे वादी मुकदमा सहित उक्त लोगों का पैर व हाथ टूट गया तथा पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आई। वादी मुकदमा सहित उक्त लोगों की नाजुक स्थिति बनी हुई है आस पास के लोग पुलिस को सूचना दिया पुलिस मौके पर आई और एम्बुलेंश बुलाकर साथी चोटहिंल को सी.एच.सी. करछना इलाज के लिये भेजा। विवेचक द्वारा अभियुक्त उज्ज्वल सिंह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(2), 281, 125(बी) बी.एन.एस., 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(V–क) एस.सी./एस.टी. एक्ट में कार्यवाही की गयी।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा व रंजिशन फंसाया गया है तथा उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा न तो माननीय उच्च न्यायालय न ही किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था न ही कोई लम्बित है। अग्रेतर यह भी कथन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी मुकदमा ने मामूली वाद–विवाद को बढ़ा चढ़ाकर बताया है और स्वयं हरिजन होना का फायदा लेकर व सरकार से पैसा ऐंठने के लिए झूठी एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व में सजायाफ्ता नहीं हैं। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध जिन धाराओं में अभियोग लगाया गया है उनमें से किसी भी धारा में सात वर्ष से अधिक के दण्ड का प्रावधान नहीं है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजकगण/वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध मारपीट, गाली–गलौज, सार्वजनिक स्थल पर जातिसूचक शब्दों के प्रयोग से अपमानित किये जाने, जान से मारने की धमकी तथा सार्वजनिक स्थल पर लापरवाही व खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाकर वादी मुकदमा व अन्य लोगों को गम्भीर चोट पहुंचाने का आरोप है। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्व विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(2), 281, 125 (बी) बी.एन.एस. व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(V–क) एस.सी./ एस.टी. एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया जाना कहा गया है। वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा पूर्व विवेचक द्वारा लगाये गये आरोप पत्र से सन्तुष्ट नहीं होने के कारण पुलिस उपायुक्त, यमुनानगर को शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2026 को पूर्व विवेचक द्वारा उक्त अभियोग में विवेचना में बिना किसी उचित कारण के गम्भीर धाराओं का लोप किये जाने के सम्बन्ध में निष्पक्ष विवेचना कराये जाने का अनुरोध किया गया है जिसके आधार पर पुलिस उपायुक्त, यमुनानगर के आदेश दिनांकित 25.03.2026 के अनुक्रम में अग्रिम विवेचना सहायक पुलिस उपायुक्त, बारा, प्रयागराज द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की जा रही है। विवेचक से दिनांक 11.05.2026 से वर्तमान प्रकरण की अद्यतन आख्या को आहूत किया गया परन्तु उनके द्वारा लगभग सात तिथियां व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अद्यतन आख्या को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवेचक द्वारा अद्यतन आख्या प्रस्तुत न किये जाने के कारण पुलिस कमिश्नर, कमिश्नरेट प्रयागराज को दिनांक 19.06.2026 को अनिवार्य रूप से अद्यतन आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु उनके द्वारा 15.40 बजे तक कोई आख्या प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय को बाध्य होकर बिना विवेचक द्वारा प्रस्तुत किये गये अद्यतन आख्या के ही जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

6. मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. उभय पक्षों को सुनने, अभिलेख का अवलोकन करने तथा इस तर्क को दृष्टिगत रखते हुए कि आवेदक/अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए रंजिशन व झूठा फंसाये जाने का कथन किया है। अग्रेतर यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है तथा उनके विरुद्ध जिन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है उनमें से किसी भी धारा में सात वर्ष से अधिक के दण्ड का प्रावधान नहीं है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त उज्ज्वल सिंह का यद्यपि आपराधिक इतिहास होना बताया गया है परन्तु दोषसिद्ध होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय उच्तम न्यायालय द्वारा *सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773* में प्रतिपादित सिद्वान्त को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुणदोष पर विचार किये न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त उज्ज्वल सिंह को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है तथा जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त उज्ज्वल सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 40,000 (चालीस हजार रूपये) का निजी बंधपत्र एवं इसी धनराशि की एक विश्वसनीय जमानत संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने व संतुष्टि पर निम्न शर्तों के साथ जमानत पर अवमुक्त किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त द्वारा इस तरह की अपराध की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।
2. आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा आरोप विरचन व धारा 313 दं.प्र.सं. के बयान अंकित किये जाने के स्तर पर आहूत किये जाने पर न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
3. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण के आने पर अनावश्यक स्थगन प्रार्थनापत्र नहीं देंगे और न ही साक्षीगण को डरायेंगे व धमकायेंगे।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन जमानत निरस्तीकरण हेतु न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकती है।

दिनांक– जून 19, 2026

(कुमार मयंक)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
जे.ओ.कोड–यू.पी. 6278

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.06.19 16:30:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court